हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना

दिनांक :– 16.01.2018

संख्या 10/118/2014–5श्रम–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34), की धारा 1 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श तथा पत्र क्रमांक S-38020/01/2016-SS-I, दिनांक 14 अक्तूबर, 2016 द्वारा सूचित केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की श्रेणियों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार करने के लिए इसके प्रस्ताव को प्रकाशित करते है,

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, चण्डीगढ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से जिसके इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाए, विचार करेगी।

अनुसूची

प्रतिष्ठानों का विवरण	क्षेत्र जिनमें प्रतिष्ठान स्थित है
1	2
नगर निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर निगम, नगर पालिकाएँ तथा पालिकाएँ/नगर परिषद् शामिल हैं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति आकस्मिक अथवा संविदात्मक अथवा दोनों आधार पर पिछले बारह मासों में किसी दिन नियोजित किए गए हों।	हरियाणा राज्य के वे सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप–धारा (3) तथा (5) के उपबन्ध पहले से ही प्रवर्तन में लाए गए हैं।

डा0 महावीर सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION

Date: 16.01.2018

No. 10/118/2014-5Lab; In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act 34 of 1948) and in consultation with Employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government , conveyed vide No. S-38020/01/2016-SS-I, dated the 14th October. 2016, the Governor of Haryana publishes its proposal to extends the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in the Schedule given below:-

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestion, if any, which may be received by Principal Secretary to Government, Haryana, Labour Department, Chandigarh, from any person likely to be affected thereby within the period, so specified.

SCHEDULE

Description of establishments	**Areas in which the establishments are situated**
1	2
Municipal Bodies including Municipal Corporations, Municipal Committees and Municipalities/Municipal Council run by State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both basis are employed, on any day of the proceeding twelve months.	All areas where the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 have already been brought into force under sub-sections (3) and (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act 34 of 1948).

Dr. Mahavir Singh,
Principle Secretary to Government, of Haryana,
Labour Department